अध्याय - 1
सामान्य

अध्याय 1
सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, राजस्व के बकाया, लंबित वापसी प्रकरणों एवं लेखापरीक्षा पर शासन/विभाग की प्रतिक्रिया का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 अवधि 2013–18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5	6	7
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	33,552.16	36,567.31	40,213.66	44,193.65	44,810.86
	पूर्व वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	9.71	8.99	9.97	9.90	1.40
	• कर–भिन्न राजस्व	7,704.99	10,375.23	8,568.79	9,086.51	9,061.19
	पूर्व वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	10.07	34.66	(–) 17.41	6.04	(–) 0.28
	योग (अ)	**41,257.15**	**46,942.54**	**48,782.45**	**53,280.16**	**53,872.05**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्यों का अंश	22,715.27	24,106.80	38,397.84	46,064.10	50,853.07[1]
	• सहायता अनुदान	11,776.82	17,591.44	18,330.31	23,962.53	30,150.29
	योग (ब)	**34,492.09**	**41,698.24**	**56,728.15**	**70,026.63**	**81,003.36**
3.	राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (अ+ब=स)	**75,749.24**	**88,640.78**	**1,05,510.60**	**1,23,306.79**	**1,34,875.41**
4.	अ से स का प्रतिशत	**54**	**53**	**46**	**43**	**40**

(स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 14 ''लघु शीर्षों से राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों के विस्तृत लेखे'' का अवलोकन करें। शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष "0005–केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर" (₹ 716.48 करोड़), "0008–समकेत वस्तु एवं सेंवा कर (₹ 5,132.48 करोड़), ''0020–निगम कर (₹ 15,568.92 करोड़), "0021–आय पर कर–निगम कर से भिन्न (₹ 13,146.86 करोड़), "0032–सम्पत्ति कर (₹ (–) 0.47 करोड़), "0037–सीमा शुल्क (₹ 5,130.90 करोड़), "0038–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 5,363.30 करोड़), एवं "0044–सेवा कर (₹ 5,794.60 करोड़)" शामिल हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है।

वर्ष 2017–18 में राजस्व प्राप्तियों (₹ 11,568.62 करोड़; 9.38 प्रतिशत) में वर्ष 2016–17 की तुलना में बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को दिए गए सहायता अनुदान के अंश (25.82 प्रतिशत), विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्यों का अंश (10.39 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (9.46 प्रतिशत), मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस (21.99 प्रतिशत), एवं वाहनों पर कर (19.55 प्रतिशत) के अधिक संग्रहण से थी जो माल तथा यात्री कर (69.53 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (28.20 प्रतिशत), उर्जा (45.47 प्रतिशत), वृहद एवं माध्यम सिंचाई (28.73 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाऐं (31.57 प्रतिशत), एवं चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (22.78 प्रतिशत), की कम राजस्व प्राप्तियों से अंशतः प्रतिसंतुलित थी।

1.2.2 वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2017–18 के वास्तविक की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान 2017–18	2016–17 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,500.00 16,649.85	19,500.00 18,135.96	21,300.00 19,806.15	22,000.00 22,561.12	15,187.00[2] 14,984.04	–	–
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर[3]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9,820.00 8,696.12	–	–
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	5,750.00 5,907.39	6,730.00 6,695.54	7,800.00 7,922.84	9,000.00 7,532.59	8,600.00 8,245.01	(–) 4.13	(+) 9.46
4.	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	4,000.00 3,400.00	4,000.00 3,892.77	4,700.00 3,867.69	4,500.00 3,925.43	4,300.00 4,788.51	(+) 11.36	(+) 21.99
5.	माल तथा यात्री कर	2,640.00 2,578.74	2,900.00 2,686.39	3,200.00 3,084.76	4,200.00 3,805.04	1,100.00[4] 1,159.30	(+) 5.39	(–) 69.53
6.	विद्युत कर तथा शुल्क	1,600.00 1,972.20	2,050.00 2,010.20	2,200.00 2,257.83	2,500.00 2,620.53	3,000.00 2,590.29	(–) 13.66	(–) 1.15
7.	वाहन कर	1,650.00 1,598.93	2,000.00 1,823.84	2,300.00 1,933.57	2,500.00 2,251.51	2,550.00 2,691.62	(+) 5.55	(+) 19.55

[2] वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से संशोधित बजट अनुमान।

[3] शीर्ष "राज्य वस्तू एवं सेवा कर" के लिये वर्ष 2013–14 से 2016–17 में बजट अनुमान तथा वास्तविक के कॉलम में संख्याऐं लागू नहीं दर्शाई गई है क्योंकि वस्तू एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से कियान्वित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर पूर्व अवधि 01 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 एवं वस्तु एवं सेवा कर पश्चात अवधि 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 है। औषधीय और प्रसाधन तैयारी अधिनियम के अंतर्गत आरोपणिय केंन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, (अ.सी.शु.), सीमा पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, क्रय कर, वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गये।

[4] वस्तु एवं सेवा कर लागू किये जाने के कारण संशोधित बजट अनुमान।

8.	भू–राजस्व	572.00 366.23	700.10 243.10	500.00 276.86	500.00 406.65	700.00 490.99	(–) 29.86	(+) 20.74
9.	अन्य	670.00 1,078.82	1,109.50 1,079.51	1,447.68 1,063.96	1,300.00 1,090.78	1,225.21 1,164.98[5]	(–) 4.92	(+) 6.80
योग		**33,382.00** **33,552.16**	**38,989.60** **36,567.31**	**43,447.68** **40,213.66**	**46,500.00** **44,193.65**	**46,482.21** **44,810.86**	**(–) 3.60**	**(+) 1.40**

(स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

वर्ष 2017–18 में स्वयं के कर राजस्व में पूर्व वर्ष की तुलना में, 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाओं पर कर क्रियान्वित किए जाने के कारण वृद्धि मात्र 1.40 प्रतिशत रही। भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर कर के लागू होने के कारण नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 2,511 करोड़ सहायता अनुदान भी प्रदाय किया गया। यदि भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति को स्वयं के कर राजस्व में सम्मिलित कर दिया जाये तो वृद्धि 7.08 प्रतिशत होगी।

कर राजस्व के अवयव **चार्ट 1.1** में दिये गये हैं:

चार्ट 1.1

वर्ष 2017–18 के दौरान कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

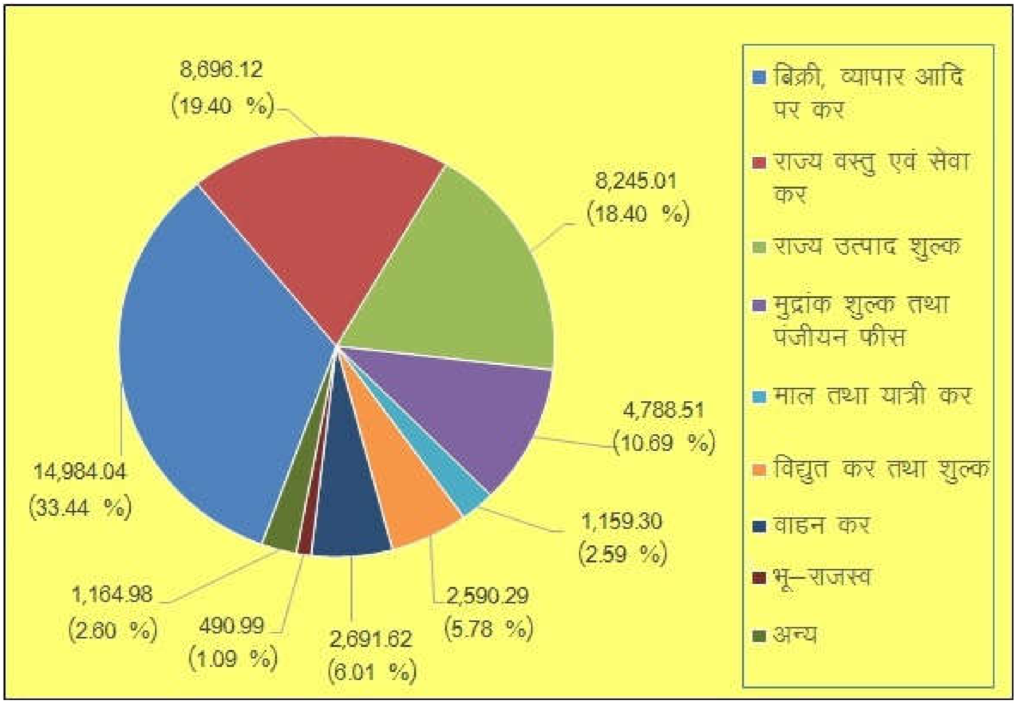

तालिका 1.2 से देखा जा सकता है कि 2017–18 के दौरान बजट अनुमान तथा वास्तविक के मध्य (–) 29.86 एवं (+) 11.36 प्रतिशत का अन्तर था। साथ ही, राजस्व के विभिन्न शीर्षो के वास्तविक में 2016–17 एवं 2017–18 के मध्य (–) 69.53 प्रतिशत से (+) 21.99 प्रतिशत का अन्तर था।

[5] 'अन्य' में वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित राजस्व शीर्षों से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ निहित हैं: होटल प्राप्ति (₹ 0.63 करोड़), आय तथा व्यय पर कर (₹ 342.23 करोड़), अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 643.72 करोड़) और वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 178.40 करोड़)।

संबंधित विभाग द्वारा अंतर के लिए निम्न कारण सूचित किये गये :

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस : 2016–17 के वास्तविक से अधिक वृद्धि (21.99 प्रतिशत) मुख्य रूप से "मुद्रांक – न्यायिक" के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क में न्यायालयीन फीस की प्राप्ति में वृद्धि एवं पूर्व वर्ष से 1,33,663 की संख्या में अधिक (20.87 प्रतिशत) दस्तावेजों का पंजीयन होना रहा।

माल एवं यात्री कर : 2016–17 के वास्तविक से कमी (69.53 प्रतिशत) का मुख्य कारण सडकों पर टोल की प्राप्तियों मे कमी एवं प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होना रहा।

वाहनों पर कर : 2017–18 के दौरान राजस्व में, 2016–17 के वास्तविक से अधिक वृद्धि (19.55 प्रतिशत) हेतु राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाए गए विशेष अभियान, निरंतर निगरानी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बेहतर मार्गदर्शन को जिम्मेदार बताया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कर की दरों में ऊपर की ओर संशोधन 10 जनवरी 2017 को किया गया।

भू–राजस्व : 2017–18 के दौरान राजस्व में, 2016–17 के वास्तविक से अधिक वृद्धि (20.74 प्रतिशत) का मुख्य कारण पूर्व–जमींदारी सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्ति का विक्रय, बेकार भूमि की बिक्री आय से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि तथा 2017–18 में भूमि कर की बहाली किया जाना था। 2017–18 के बजट अनुमान से राजस्व प्राप्ति में कमी (29.86 प्रतिशत) का कारण विभाग द्वारा उच्च बजट अनुमान होना बताया गया था।

1.2.3 2013–18 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.3

कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2017–18 के वास्तविक की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत	
		बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान 2017–18	2016–17 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2,220.00 / 2,306.17	2,500.00 / 2,813.66	3,200.00 / 3,059.64	3,450.00 / 3,168.28	3,700.00 / 3,640.73	(–) 1.60	(+) 14.91
2.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,469.61 / 2,008.49	157.73 / 3,276.10	3,192.18 / 1,292.41	4,143.72 / 1,824.03	3,310.20 / 1,309.69	(–) 60.43	(–) 28.20
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	1,100.00 / 1,036.80	1,250.23 / 968.77	1,250.31 / 1,001.71	1,250.00 / 917.98	1,332.00 / 1,112.25	(–) 16.50	(+) 21.16
4.	ब्याज प्राप्तियाँ	204.15 / 317.85	1,133.60 / 1,260.65	383.37 / 429.47	273.16 / 581.67	530.00 / 639.11	(+) 20.59	(+) 9.88
5.	ऊर्जा	524.85 / 378.66	584.12 / 381.23	662.14 / 190.09	374.49 / 357.87	408.05 / 195.15	(–) 52.17	(–) 45.47
6.	लघु सिचांई	233.53 / 219.37	281.54 / 299.77	314.25 / 326.74	379.94 / 336.24	400.44 / 354.20	(–) 11.55	(+) 5.34

7.	वृहद एवं माध्यम सिंचाई	116.86 138.48	120.09 137.55	186.08 156.16	120.56 238.12	201.57 169.70	(–) 15.81	(–) 28.73
8.	लाभांश एवं लाभ	41.28 378.72	42.26 80.35	32.57 129.64	108.83 231.50	288.17 622.36	(+) 115.97	(+) 168.84
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	184.40 380.22	165.50 140.21	182.14 147.01	240.59 193.87	265.55 132.66	(–) 50.04	(–) 31.57
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	46.65 57.76	56.25 120.16	101.56 121.04	130.82 167.04	222.18 128.98	(–) 41.95	(–) 22.78
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	441.67 482.47	467.57 896.78	619.38 1,714.88	1,008.36 1,069.91	1,021.57 756.36[6]	(–) 25.96	(–) 29.30
योग		**7,583.00** **7,704.99**	**6,758.89** **10,375.23**	**10,213.98** **8,568.79**	**11,480.47** **9,086.51**	**11,679.73** **9,061.19**	**(–) 22.42**	**(–) 0.28**

(स्रोत – मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

कर भिन्न राजस्व के अवयव **चार्ट 1.2** में दिये गये हैं:

चार्ट 1.2
वर्ष 2017–18 के दौरान कर भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

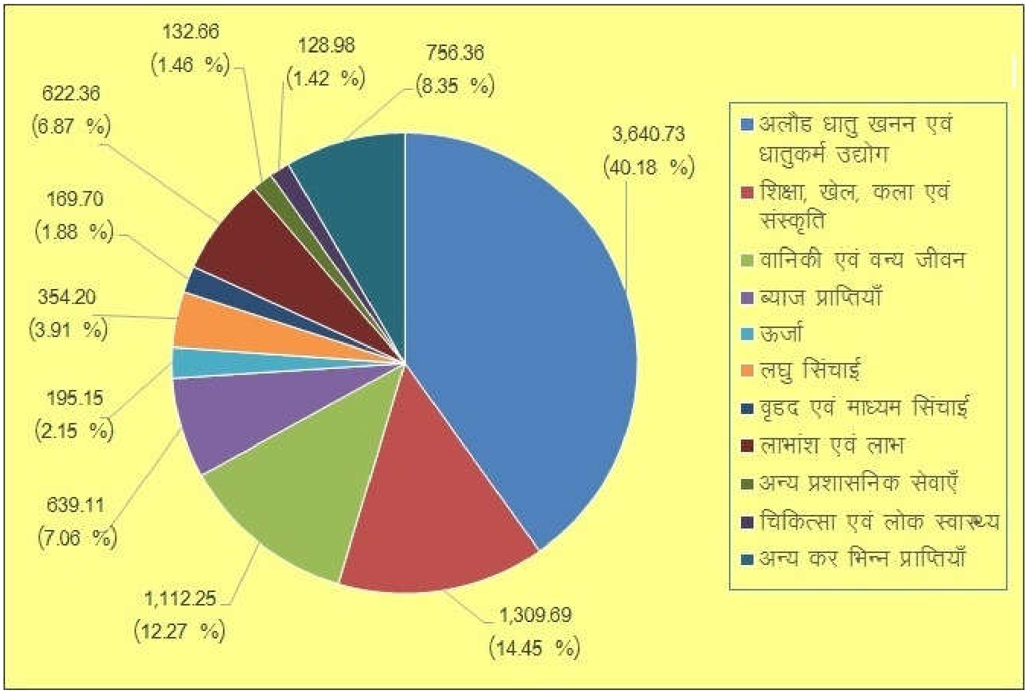

---

6 'अन्य कर भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित राजस्व शीर्षों से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में) निहित हैं : लोक सेवा आयोग (14.45), पुलिस (124.33), जेल (3.86), लोक निर्माण (124.94), लेखन सामग्री एवं मुद्रण (13.65), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली (47.93), परिवार कल्याण (0.19), जलपूर्ति तथा सफाई (17.25), आवास (26.11), शहरी विकास (18.41), सूचना तथा प्रचार (0.23), श्रम तथा रोजगार (26.63), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (24.14), अन्य सामाजिक सेवायें (56.78), फसल कृषि–कर्म (48.88), पशुपालन (4.89), डेरी विकास (0.05), मछली पालन (9.49), खाद्य भंडारण तथा भांडागार (0.12), अन्य कृषि कार्यक्रम (2.08), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (11.13), पेट्रोलियम (0.01), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (7.16), ग्राम एवं लघु उद्योग (15.08), उद्योग (4.22), अन्य उद्योग (0.05), सड़क एवं सेतु (2.76), पर्यटन (53.56), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (31.14), सहकारिता (12.73), एवं विविध सामान्य सेवाऐं (54.11)।

तालिका 1.3 से देखा जा सकता है कि 2017–18 के दौरान बजट अनुमान तथा वास्तविक के मध्य (–) 60.43 एवं (+) 115.97 प्रतिशत का अन्तर था। साथ ही, राजस्व के विभिन्न शीर्षों में 2016–17 के एवं 2017–18 के वास्तविक के मध्य (–) 45.47 प्रतिशत से (+) 168.84 प्रतिशत का अन्तर था।

आगे, लेखापरीक्षा में राजस्व प्राप्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अनुमानित बजट एवं वास्तविक प्राप्तियों में लगातार व्यापक भिन्नता पायी गयी है (सन्दर्भ **तालिका 1.2 एवं 1.3**)। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड–1 के अनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर वित्त विभाग बजट अनुमान तैयार करेगा व प्रस्तुत विवरण की सत्यता हेतु प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगा।

वित्त विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि बजट तैयार करने के लिये सभी विभागों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली[7] (ए.वि.प्र.सू.प्र.) एवं मुद्रा सॉफ्टवेयर में निश्चित समयावधि में आकड़े दर्ज करने के लिये निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् बजट अनुमानों का अंतिम निर्धारण करने के लिए वित्त विभाग द्वारा विभाग प्रमुखों से चर्चा की गयी तथा मंत्रीपरिषद के अनुमोदन पश्चात विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।

वित्त विभाग ने आगे बताया कि प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान को विभाग के राजस्व उपार्जन की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्त विभाग द्वारा बढ़ाया गया। परन्तु लेखापरीक्षा के बार–बार अनुरोध करने (जनवरी 2019) पर भी वित्त विभाग ने इस तरह की चर्चाओं के कार्यवृत्त एवं बजट संबंधी नस्तियाँ लेखापरीक्षा के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया। अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इस प्रकार की कोई चर्चा हुई एवं वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान के निर्धारण में युक्तियुक्त प्रक्रिया का पालन किया गया।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2018 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 6,057.26 करोड़ में से ₹ 2,553.81 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.4
बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2018 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2018 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के प्रत्युतर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,650.58	5,219.48	2,199.76	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (आर.आर. सी.) राशि ₹ 281.87 करोड़ के जारी कर दिए गए, ₹ 2,006.68 करोड़ विभिन्न न्यायालयों में लंबित, ₹ 183.76 करोड़ अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित, ₹ 306.71 करोड़ औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (औ. वि. पु. बो.) में सम्मिलित, ₹ 878.97 करोड़ बंद फर्मों में, ₹ 600.34 करोड़ अचल संपत्तियों के जब्ती में, ₹ 22.91 करोड़ चल संपत्तियों के जब्ती में, ₹ 14.38 करोड़ अपलेखन हेतु लंबित,

[7] ए.वि.प्र.सू.प्र. एक साफ्टवेयर है जो म.प्र. शासन को विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के बीच विभिन्न सूचनाओं का सहज अदान–प्रदान करने तथा बजट–योजना के संबंध में सशक्त नीति बनाता है।

					₹ 0.13 करोड़ किस्तों में एवं शेष ₹ 923.73 करोड़ सामान्य वसूली थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	182.19	220.72	73.21	₹ 149.13 करोड़ की आर.आर.सी. जारी कर दी गयी, ₹ 23.09 करोड़ न्यायालय में लंबित, ₹ 48.50 करोड़ के वसूली अयोग्य प्रकरण अपलेखन हेतु कार्यवाही जारी थी।
3.	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	243.34	343.61	141.96	विभागीय स्तर पर बकाया का कोई डेटाबेस संधारित नहीं किया गया है।
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	24.52	48.38	यह आंकड़े विभाग द्वारा संधारित नही किये जाते।	सम्पूर्ण राशि की आर.आर.सी. जारी कर दी गई।
5.	विद्युत कर तथा शुल्क	209.55	225.07	138.88	₹ 26.83 करोड़ की आर.आर.सी. जारी कर दी गई, ₹ 119.90 करोड़ की वसूली न्यायालयों में लंबित है, ₹ 64.08 करोड़ की राशि का आवेदन शासन स्तर पर विद्युत शुल्क/उपकर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज की अधिरोपित राशि को माफ करने हेतु विचाराधीन हैं, ₹ 3.67 करोड़ बीमार कपड़ा मिलों पर बकाया हैं एवं ₹ 10.59 करोड़ अन्य स्तरों पर लंबित हैं।
	योग	**5,310.18**	**6,057.26**	**2,553.81**	

लेखापरीक्षा ने बकाया राजस्व की वसूली विलंबित रहने के कारण जानने हेतु पाँच विभागों[8] की नस्तियों एवं अभिलेखों का परीक्षण (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019) किया एवं ₹ 306.04 करोड़ बकाया के 8,097 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि हालांकि सभी मामलों में आर.आर.सी. जारी कर दी गयी थी, फिर भी वसूली लंबित थी जिसका कारण प्रकरणों का न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित रहना, बकायादारों की चल/अचल सम्पत्ति बेचकर वसूली के प्रयास प्रारंभ ना करना, बकायादारों का पता ठिकाना ना मालूम होना, वसूली अयोग्य राशि के अपलेखन ना करना आदि पाया गया।

आगे यह पाया गया कि विभागों में बकाया राजस्व वसूली की प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने अथवा बकाया के संग्रहित होने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई प्रणाली नहीं है। विभागों के पास लंबित बकाया का कोई डाटाबेस शीर्ष स्तर पर नहीं है। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी माँगे जाने पर विभागों द्वारा फील्ड इकाईयों से बकाया प्रकरणों व राशि के आँकड़े एकत्रित कर संकलित किए जाते हैं।

अनुशंसा :

विभागों को लंबित बकाया का स्वयं का डाटाबेस तैयार करने में गति लानी चाहिए तथा वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने की प्रणाली विकसित करना चाहिए तथा विभाग बकाया राजस्व की वसूली हेतु प्रत्येक निर्धारण अधिकारी के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। विभाग ने अभी तक लेखापरीक्षा

[8] आबकारी विभाग (जिला आबकारी आयुक्त – गुना, रायसेन एवं सहायक आबकारी अधिकारी होशंगाबाद), खनिज संसाधन विभाग (जिला खनिज अधिकारी – अनूपपुर, भोपाल, धार, होशंगाबाद, रायसेन, सतना, सिहोर और शाजापुर), पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग (जिला पंजीयक – रायसेन, रीवा एवं सिहोर), वाणिज्यिक कर विभाग (वृत्त 1 से 6 भोपाल, वाणिज्यिक कर अधिकारी – बैतूल, भोपाल 2 तथा मंडीदीप), और ऊर्जा विभाग (कार्य.यंत्री (ई एण्ड एस) भोपाल, होशंगाबाद, सिहोर तथा सहा. यंत्री (ई एंड एस) हरदा और अधिक्षण यंत्री (ई एंड एस) इंदौर)।

प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 में इस संबंध में दिये गये समान अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है।

1.4 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2017–18 के अंत में लंबित वापसी प्रकरणों की जानकारी का उल्लेख **तालिका 1.5** में किया गया है:

तालिका 1.5

वापसियों के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर		मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क		विद्युत कर तथा शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे **(अ)**	1,166	169.01	1,884	3.92	4	0.08	174	7.36
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे **(ब)**	5,310	715.03	6,155	17.65	377	109.76	0	0
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ **(स)**	5,438	738.46	6,012	15.50	350	108.35	21[9]	5.94
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष **(अ+ब–स=द)**	1,038	145.58	2,027	5.91	31	1.49	153	1.42
5.	वापसी का प्रतिशत **(स से {अ+ब})**	–	83.53	–	71.86	–	98.64	–	–

लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.), ऊर्जा विभाग एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभागों के अभिलेखों का परीक्षण किया एवं निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

- वाणिज्यिक कर विभाग ने अप्रैल 2017 की स्थिति में वापसियों के बकाया आकड़ो को ₹ 254.93 करोड़ (1,187 प्रकरण) से संशोधित कर ₹ 169.01 करोड (1,166 प्रकरण) कर दिया। आंकड़ों में संशोधन का कारण विभाग ने संभागीय कार्यालयों द्वारा लिपीकीय त्रुटि की वजह से आकड़ों को लाख के बजाय करोड़ में लिया जाना बताया। यह बकाया वापसियों के प्रकरणों के डाटाबेस का अपर्याप्त समेकन/रख–रखाव को दर्शाता है।
- ऊर्जा विभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसंबर 2018) कि विद्युत कर एवं शुल्क के वर्ष 1989–90 से 2017–18 के वापसी प्रकरण जिनमें राशि ₹ 1.42 करोड़ (153 प्रकरण) की वापसी के कार्यालय मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल, वृत्त एवं संभाग इंदौर एवं वृत्त उज्जैन में लंबित हैं। ऊर्जा विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2018) कि संबंधित अधिकारियों को बकाया प्रकरणों को एक महीने के अंदर निस्तारण के लिये निर्देश दिये गये (मई 2018), तत्पश्चात, विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि बकाया

[9] विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि वर्ष 2005 से 2015 से संबंधित ₹ 5.94 करोड़ के 21 वापसियों के प्रकरण लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान अनुसार तीन वर्ष की समाप्ति पश्चात नस्तीबद्ध किये गये।

वापसियों के सभी 153 प्रकरण लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान अनुसार तीन वर्ष की समाप्ति पश्चात अब वैध नहीं है। विभाग ने इन प्रकरणों को नस्तीबद्ध कर दिया है। आगे, ऊर्जा विभाग ने अप्रैल 2017 की स्थिति में वापसियों के बकाया आकड़ो को ₹ 7.40 करोड़ (175 प्रकरण) से संशोधित कर (जनवरी 2019) ₹ 7.36 करोड़ (174 प्रकरण) कर दिया जो बकाया वापसियों के प्रकरणों के अभिलेखों के अपर्याप्त रख–रखाव को दर्शाता है।

- लेखापरीक्षा ने पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग में पंजीयक भोपाल एवं होशंगाबाद के वर्ष 2013–14 से 2017–18 से संबंधित ₹ 19.42 लाख के वापसियों के प्रकरणों का परीक्षण किया (दिसंबर 2018) एवं पाया कि आवेदकों के अनुपस्थिति एवं बैक खाता नम्बर अप्राप्त होने के कारण वापसियाँ नहीं की जा सकी।

अनुशंसा :

विभाग को संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन तथा वापसियों के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये। विभाग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 में इस संबंध में दिये गये अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

शासकीय विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात्, लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालय प्रमुख को भेजते हुए उनकी प्रतियाँ उच्च अधिकारियों को सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी हेतु भेजी जाती हैं। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया कि 5,477 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 25,030 कंडिकाएँ, जिनमें राशि ₹ 23,884.71 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2018 के अंत तक लम्बित थीं। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार विवरण **तालिका 1.6** में नीचे दर्शाया गया है :

तालिका 1.6
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	मौद्रिक मूल्य
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,738	9,759	4,093.59
2.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	114	353	1,886.68
3.	राज्य आबकारी	राज्य उत्पाद शुल्क	416	1,724	8,245.90
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,530	5,012	5,428.63
5.	परिवहन	वाहन कर	566	3,665	601.95
6.	पंजीयन तथा मुद्रांक	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	753	2,571	749.75
7.	खनिज संसाधन	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	360	1,946	2,878.21
	योग		**5,477**	**25,030**	**23,884.71**

वर्ष 2017–18 के दौरान जारी 309 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर, निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थें।

अनुशंसा :

शासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र बनाया जाए कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित कार्यवाही, सुधारात्मक कार्यवाही की जाए एवं लेखापरीक्षा से तारतम्य बनाते हुए निरीक्षण प्रतिवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सके। वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी प्रकार की लेखापरीक्षा द्वारा की अनुशंसा दी गई थी। यद्यपि, अभी तक शासन ने कोई कार्यवाही नही की।

1.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन का संक्षिप्त विवरण

उच्चाधिकार प्राप्त समिति[10] द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह[11] के भीतर सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित उनसे संबंधित सभी कंडिकाओं पर उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों पर व्याख्यात्मक टीप स्वतः ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को, महालेखाकार से विधिवत जाँच कराने के पश्चात, प्रस्तुत कर देना चाहिए।

राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक, तथा खनिज संसाधन) एवं जल संसाधन विभाग की वर्ष 2013–14 से 2016–17 की अवधि की 112 कंडिकाओं[12] पर व्याख्यात्मक टीप प्राप्त (अप्रैल 2019) नहीं हुई थी।

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लो.ले.स. द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छह माह के भीतर लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर विस्तृत कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिये। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

लो.ले.स. की अनुशंसाओं[13] के बाद भी राज्य के राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन, भू–राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक, तथा खनिज संसाधन) के वर्ष 1995–96 से 2011–12 की अवधि (वर्ष 2012–13 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिफारिश प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है) के लोक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 143 कंडिकाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन मार्च 2018 तक नहीं प्राप्त हुए थें।

अनुशंसा :

शासन राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों एवं विभाग की कार्यप्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए कार्य आरंभ कर सकता है। शासन सुनिश्चित कर सकता है कि लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार किया जाए।

---

[10] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समीक्षा एवं प्रतिकिया हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की गई (शकधर समिति प्रतिवेदन)।

[11] ऐसी स्थिति में जब लेखापरीक्षा कंडिकाऐं लो.ले.स./सार्वजनिक उपकमों की समिति द्वारा इस अवधि में चयनित नहीं किये गये हों, स्वतः ही प्रत्युत्तर तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

[12] 2013–14 (07), 2014–15 (03), 2015–16 (48), 2016–17 (54)।

[13] दिसम्बर 2004 से फरवरी 2018 के मध्य इस कार्यालय में प्राप्त।

1.5.2 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

विभागों/शासन ने वर्ष 2012–13 से 2016–17 के मध्य लेखापरीक्षा प्रेक्षणों जिनमें ₹ 3,078.13 करोड़ राशि सन्निहित थी, की आपत्ति स्वीकार की, जिसमें से मार्च 2018 तक केवल ₹ 67.37 करोड़ वसूल किये गये, जिसका विवरण **तालिका 1.8** मे दर्शाया गया है:

तालिका 1.8
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत मौद्रिक मूल्य	वसूल की गई राशि	स्वीकृत धन राशि से वसूल की गयी राशि का प्रतिशत
1	वाणिज्यिक कर	700.05	1.49	0.21
2	भू–राजस्व	129.52	18.43	14.22
3	पंजीयन तथा मुद्रांक	212.26	10.56	4.97
4	खनिज संसाधन	211.70	17.54	8.28
5	परिवहन	86.03	4.48	5.20
6	राज्य उत्पाद शुल्क	48.09	11.80	24.53
7	वन	12.23	0.63	5.15
8	जल संसाधन	1,626.24	0.00	0.00
9	ऊर्जा	52.01	2.44	4.69
योग		**3,078.13**	**67.37**	**2.19**

1.6 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभाग/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खनिज संसाधन विभाग से सम्बन्धित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

उत्तरवर्ती कंडिकायें 1.6.1 से 1.6.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2007–08 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में राजस्व मुख्य शीर्ष 0853 खनिज संसाधन विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है।

1.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, उनमें सम्मिलित कंडिकाओं तथा 31 मार्च 2018 को इनकी संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.9** में दर्शायी गई है :

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			31 मार्च 2018 को अंतिम शेष		
	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2008–09	285	797	803.17	32	179	368.14	05	39	161.19	312	937	1,010.12
2009–10	312	937	1,010.12	41	268	1,824.35	61	211	181.12	292	994	2,653.35
2010–11	292	994	2,653.35	37	208	282.36	130	313	193.73	199	889	2,741.98
2011–12	199	889	2,741.98	33	234	174.66	30	148	1,302.50	202	975	1,614.14
2012–13	202	975	1,614.14	35	254	147.18	04	09	0.06	233	1,220	1,761.26
2013–14	233	1,220	1,761.26	37	280	638.55	06	155	589.95	264	1,345	1,809.86
2014–15	264	1,345	1,809.86	33	200	243.90	01	20	1.53	296	1,525	2,052.23
2015–16	296	1,525	2,052.23	32	177	107.51	14	151	105.26	314	1,551	2,054.48
2016–17	314	1,551	2,054.48	33	197	502.31	16	112	115.69	331	1,636	2,441.10
2017–18	331	1,636	2,441.10	26	289	434.22	0	01	0.01	357	1,924	2,875.31

लंबित कंडिकाओं की संख्या की बढ़ोत्तरी इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.6.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा मार्च 2018 तक वसूल की गयी राशि की स्थिति **तालिका 1.10** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.10
स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (2017–18)	31 मार्च 2018 तक वसूल की गई राशि की संचयी स्थिति
2007–08	1[14]	395.76	1	0.11	0	63.53
2008–09	8	102.93	1	1.53	0	2.92
2009–10	11	447.89	3	138.24	0	4.71
2010–11	11	115.46	8	83.67	0	125.22
2011–12	12	80.34	3	23.92	0	39.11
2012–13	1[15]	46.43	1	9.44	0.02	0.02
2013–14	8	26.29	3	7.80	0	0
2014–15	8	15.38	6	2.46	0.10	0.10
2015–16	10	43.91	8	25.17	0	0
2016–17	7[16]	318.03	7	166.58	3.34	3.34
योग	**77**	**1,592.42**	**41**	**458.92**	**3.46**	**238.95**

[14] "खनिज प्राप्तियाँ" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका।
[15] "मध्य प्रदेश में खनिज प्राप्तियाँ" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका।
[16] "रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम" पर एक लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित।

यह स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में पुरानी कंडिकाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग का प्रयास असंतोषजनक था। स्वीकृत प्रकरणों में संबंधित पक्ष से बकाया राजस्व की वसूली की प्रक्रिया के अनुसार करनी थी। यद्यपि, स्वीकृत प्रकरणों में अनुसरण के लिए विभाग/शासन के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

शासन ने वसूली प्रकरणों में वसूली हेतु न तो अधिनियम में विशेष प्रावधान किए हैं और न ही विभागों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे प्रकरणों में निश्चित समय सीमा में वसूली पूर्ण की जाए तथा यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि ऐसी अनियमितताएँ भविष्य में न हों। अतः, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप न केवल रॉयल्टी एवं अन्य खनन प्राप्तियों की कम आरोपित राशि की वसूली नहीं हो सकी बल्कि उसी प्रकार की अनियमितताएँ बाद के सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पायी गईं। उनमें से कुछ वर्ष 2017–18 के दौरान भी लेखापरीक्षा में पाई गईं, जिन्हें इस प्रतिवेदन के अध्याय चार में शामिल किया गया है।

अनुशंसा :

शासन द्वारा कम से कम स्वीकार किये प्रकरणों में जो न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वसूली सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये जा सकते हैं।

1.6.3 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को संबंधित विभाग/शासन के पास उनकी जानकारी व उत्तरों के लिए अग्रेषित किया गया। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर निर्गम सम्मेलनों में चर्चा की गई तथा इन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अंतिम रूप देने के दौरान विभाग/शासन के विचार भी सम्मिलित किये गए।

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खनिज संसाधन विभाग पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं, उन में शामिल कुल अनुशंसाएँ, विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाएँ तथा स्वीकृत अनुशंसाओं की अद्यतन स्थिति **तालिका 1.11** में दी गई है :

तालिका 1.11

स्वीकृत अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की कुल संख्या	स्वीकृत अनुशंसाओं का विवरण
2012–13	"मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियाँ"	13	शासन द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है : • शासन द्वारा खनिज प्राप्तियों के निर्धारण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पट्टेधारियों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति पर निगरानी रखने हेतु उपयुक्त पंजियों का संधारण निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए। शासन द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शास्ति प्रावधान भी लागू किया जाना चाहिये। • शासन द्वारा राजस्व के हित में तथा खनिजों के अवैध परिवहन और भण्डारण की संभावना को न्यूनतम करने के लिए व्यवसायी अनुज्ञप्ति आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए। • निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खनन निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राधिकारियों को खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु एक आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी निर्धारित

			किये जाने के सम्बंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है। • पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी दरें पाने हेतु व्यापारिक खदानों की ई–नीलामी हेतु शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए। • पट्टेदार को वार्षिक उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करते समय खनिज संसाधन विभाग तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परस्पर हानि तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके। • राजस्व की वसूली में विलंब से बचने के लिए लंबित रासायनिक विश्लेषण/परीक्षण, समय पर किये जाने चाहिए। • विभाग में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थापना करने तथा आरोपण एवं संग्रहण को सशक्त बनाने के लिए कार्यालयों की नियमित लेखापरीक्षा सुनिश्चित किया जा सके। • पूर्वेक्षण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारकों से प्रतिवेदनों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए उपयुक्त अभिलेखों का संधारण निर्धारित करना चाहिये। • खतौनी के उचित संधारण के प्रभावी परिवीक्षण हेतु निर्धरित समयांतरालों पर उच्चतर प्राधिकारियों को इसके प्रस्तुतीकरण को निर्धारित करना चाहिये। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि खदानों का कार्य संचालन पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार है, प्रणाली निर्धारित करना चाहिये। • खनिजों के अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण को पहुँचाई गई क्षति तथा क्षेत्रा के सुधार पर की वसूली हेतु उपायों को लागू करना चाहिये। • शासकीय राजस्व की त्वरित प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु सड़क विकास कर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण के लिए प्रावधान निर्धारित करना तथा • एक ऐसी प्रणाली निर्धारित करना जिसमें पारगमन पत्रों में दिये गये विवरणों को पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों से प्रतिमाह प्रतिसत्यापित किया जा सके।
2016–17	**“रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम”**	**7**	• विभाग खनिज अधिकारियों और खनिज निरीक्षकों को विद्यमान स्वीकृत पदों की समीक्षा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि सभी मौजूदा रिक्तियों को भरा जाए। • विभाग को या तो सुरक्षा जमा आरक्षित मूल्य के बराबर बढ़ाना चाहिए या भविष्य में बोली प्रक्रिया में भाग लेने से इस तरह की प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए ऐसे दोषियों को काली सूची में डालना चाहिए। • विभाग को मध्य प्रदेष राज्य खनिज निगम लिमिटेड के साथ अनुबंध में संशोधन करना चाहिए जिससे म.प्र.रा.ख.नि.लि. से अनुबंधित मात्रा या वास्तव में खपत हुई और प्रेषित रेत की मात्रा, जो भी अधिक हो, उस पर रॉयल्टी संग्रह किया जाए, जिससे शासन को राजस्व हानि वहन न करना पड़े। • विभाग रेत खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र विकसित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मुद्दों की बारीकी से निगरानी करने के लिए आवधिक विवरणी निर्धारित कर सकता है। • विभाग मॉड्यूल विकसित कर सकता है और ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणी जमा करने एवं उन्हें

			सुविधाजनक बनाने के लिए खनिज वाहकों को लॉग–इन एक्सेस प्रदान कर सकता है। • अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए विभाग प्रत्येक जिलों में पर्याप्त संख्या में जाँच चौकियाँ स्थापित कर सकता है। • विभाग को विभागीय मैनुअल तैयार करना चाहिए तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करना चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर उपरोक्त सभी अनुशंसाएँ, संबधित निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गई। यद्यपि, विभाग द्वारा इन कमियों को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अनुशंसा :

शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग को निर्देश जारी किये जावें कि वे पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर उचित कार्यवाही करें।

1.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक, एवं खनिज संसाधन विभागों की 962 इकाईयों में से 287 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 77,886 प्रकरणों में ₹ 1,542.04 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि पाई गई। संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 7,840 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 459.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 50,674 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 393.28 करोड़ अंतर्निहित थी, की समीक्षा किया जाना स्वीकार किया गया। शेष 19,372 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 689.65 करोड़ समाहित थी, विभागों के भिन्न मत थे। यद्यपि, इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा उचित प्रतिउत्तर दिए गये थे। विभाग द्वारा 199 प्रकरणों में ₹ 42 लाख की वसूली सूचित (सितंबर 2019) की गई।

1.8 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 19 कंडिकाएँ, (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों में पाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं की गई आपत्तियों में से चयनित) एवं **"मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनिज प्राप्तियाँ"** पर लेखापरीक्षा जिनमें, ₹ 207.07 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित हैं, सम्मिलित हैं।

शासन/विभागों ने ₹ 90.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें ₹ 4.85 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर तथा की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु दस्तावेज विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना उत्तरवर्ती अध्यायों 2 से 7 में की गई है।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।